तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व अपील संख्या 19/2018 अनवान लेहरीदेवी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत खुडासा एवं अन्य
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान--2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय नोख पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 26.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजकीय माध्यमिक विधालय नोख पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
26.11.2021	पत्रावली राजकीय माध्यमिक विधालय नोख पर पेश हुई। अपीलार्थी अनुउपस्थित। उत्तरदाता अनुउपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि मौजा नोख तहसील बाड़मेर में खसरा नंबर 113 रकबा 124 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नंबर 112 रकबा 8 बिस्वा कुल रकबा 124 बीघा 17 बिस्वा गत बन्दोबस्त के समय अपीलकत्रा एवं उतरदाता संख्या 02 से 08 के पूर्वज मुतवफी इसराराम पुत्र लाधाराम व उसके काकाई भाई भींया पुत्र रूपा की संयुक्त खातेदारी में अंकित हुए थे जिसमें 1/2 हिस्सा मुतवफी इसरा पुत्र लाखा का तथा इसी अनुसार 1/2 हिस्सा उसके काकाई भाई भींया पुत्र रूपा के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज किया गया था। तत्पश्चात अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 से 03 के पूर्वज मुतवफी इसराराम का देहान्त सन् 1974 में हो गया था। मुतवफी इसराराम के तीन जांयदा पुत्र सर्स श्री बगताराम, लुम्बाराम, व मावणाराम थे। परन्तु मुतवफी इसराराम के पुत्र बगताराम का देहान्त मुतवफी इसराराम के जीवनकाल में ही हो गया था। मुतवफी इसराराम के पुत्र बगताराम के स्वर्गवास के समय उसकी पत्नी व पुत्री (अपीलकर्तागण) मौजुद थे। अपीलकर्ता संख्या 1 के ससुर व अपीलकर्ता संख्या 2 के दादा इसराराम द्वारा ही उनका लालन पालन व भरण पोषण किया जाता था एवं तत्पश्चात् मुतवफी इसराराम का देहान्त सन् 1974 में होने के समय उसके प्रथम श्रेणी के वैध उतराधिकारीयों में अपीलकर्तागण व उतरदाता संख्या 2 से 3 थे। तथा उतरदाता संख्या 2 व 3 चालाक प्रवृति के व्यक्ति थे उन्होने पटवारी हल्का से षडयंत्रपूर्वक साजशी मिलावट कर अपने सगे भाई बगताराम के वारिसान अर्थात अपीलकर्तागण का नाम छिपाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण अपने पक्ष में भरा कर अपने नाम राजस्व अभिलेखों में अंकन करवा दिया गया। तत्पश्चात् उतरदाता संख्या 2 से 3 ने अपने नाम हूए राजस्व रैकर्ड में हुए अंकन का फायदा उठाकर खेत खसरा नंबर 113 एवं खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

112 गैर मुमकिन ढ़ाणी का बंटवाड़ा करवाते हुए उतरदाता संख्या 2 व 3 के पक्ष में खसरा नंबर 362/113 रकबा 62.09 बीघा भूमि अलग दर्ज करवा दी तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि भींया पुत्र रूपा के नाम दर्ज करवा दी। अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 72 दिनांक 30.09.1974 को निरस्त करते हुए, उतरदाता संख्या 2 व उतरदाता संख्या 3 के कायम मुकामों के साथ अपीलकर्ता का नाम सह खातेदार के रूप में जोड़े जाने आदेश प्रदान करावें।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता अनुउपस्थित रहे। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। मजमेआम दिनांक 26.11.2021 मे मौजीज लोगो द्वारा बताया गया कि मृतक खातेदार ईसराराम पुत्र लाधाराम के तीन जायंदा पुत्र थे बगताराम, लुम्बाराम व मावणाराम ईसराराम के पुत्र बगताराम के जीवत रहते हुऐ हो जाने से उसकी पत्नी एवं पुत्री (अपीलकर्ता) का नाम उसके पिता एवं दादा की सम्पति मे नही दर्ज हुआ है। मृतक खातेदार ईसराराम पुत्र लाधाराम के बगताराम जायंदा पुत्र होने से उसकी पत्नी एवं पुत्री का नाम उसकी सम्पति मे जोड़ने की मजमेआम द्वारा सहमती जाहिर की गई।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, कुड़ला द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 72 पर पारित आदेश दिनांक 30.09.1974 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर मौजा नोख तहसील बाड़मेर में खसरा नंबर 113 रकबा 124 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नंबर 112 रकबा 8 बिस्वा कुल रकबा 124 बीघा 17 बिस्वा में अंकित मृतक खातेदार ईसराराम पुत्र लाधाराम जाति भील के वारिशान के साथ मे अपीलान्ट लेहरोदेवी (ईसराराम की पुत्रवधु) सुगनी (ईसराराम की पौत्री), का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर